Knowledgeable Research –Vol.1, No.10, *May 2023*

Web: http://www.knowledgeableresearch.com/

मानव अधिकार की कानूनी और संवैधानिक संकल्पना

अजित कुमार
असिस्टेंट प्रोफेसर
सत्यवती कॉलेज, (ईव)
दिल्ली विश्वविध्यालय
Email: kumarajitdu@gmail.com

****

ABSTRACT

मानव अधिकार की संकल्पना बहुत विस्तृत किसी सीमा से नहीं बांधा जा सकता यह दुनिया के प्रत्येक सविधानों में निहित है। भारतीय सविधान भी बखूबी गारंटी देता है, मानव अधिकारों का जन्म इंग्लैण्ड में हुआ। मानव अधिकारों केइतिहास का प्रारम्भ मैग्नाकार्टा के समय आंतरिक कानून के क्षेत्रा से हुआ। मैग्नाकार्टा के आधार पर 1628 में अधिकारों का प्रार्थना पत्रा पास किया गया बाद में 1688 में अधिकारों का घोषणा पत्रा पास हुआ जिसे मानव अधिकार की आधुनिक घोषणा पत्रा के रूप में समझा गया इसे को प्रफांसीसी क्राति एवं अमेरिकी सविधान ने भी बहुत प्रभावित किया। मानव अधिकारों के व्यवहार कापफी लंबा है, 18वीं शताब्दी में मानव अधिकार को अमेरिका और प्रफांस की क्रांति बना कर निर्मित किया गया। अधिकतर आधुनिक सविधानों में प्रफांस तथा अमेरिका के प्रभावी को अपना कर अधिकारों की औपचारिक घोषणा करके सम्मिलित किया गया। प्रफांस की राष्ट्रीय सभा ने 1789 में अमेरिका के अधिकारों के घोषणा पत्रा को प्रारम्भिक संवैधानिक संसोधनों के रूप में अपनाकर सविधान में सम्मिलित कर दिया। इस लेख को चार भागों में वर्गीकृत किया गया है, प्रथम भाग मानव अधिकार क्या है? उसकी विस्तृत सकल्पनाओ की व्याख्या की गई भाग दो, मानव अधिकार का विकास किन–किन स्रोतों के द्वारा हुआ इसका विस्तार से विवेचन किया गया है। भाग तीन भारत में सविधान के तहत मानव अधिकारों को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त कर अध्किारों पर प्रकार डाला गया है और भाग चार, में राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा किस हद तक मानवीय अधिकारों का सरंक्षण किया जाता है इसकी चर्चा की गई है।

Keywords: *मानव अधिकार, राष्ट्रीय सभाए, मनुस्मृतिए कौटिल्एए मानवोचित गुण.*

****

भारतीय सविधान **में** मानव अधिकार की जड़े काफी पुरानी प्रतीत **होती हैं** जिसका वर्णन 5000 वर्ष पूर्व)ग्वेद में नागरिक स्वतत्रताओ का उल्लेख मिलता **है**। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में स्पष्ट सधियों, नागरिकों और कानूनी आधिकारों की गणना की गयी। मनुस्मृति और महाभारत मानव अधिकार के महान स्रोत है। **इसके** अलावा पश्चिमी विचारकों में हाब्स से बहुत पहले राज्य के वैयक्तिक स्वतन्त्रता के महत्व का विवेचन मिलता है। वही भारतीय सदर्भ में 1946 में जवाहर लाल नेहरु ने मानव अधिकारों के वैकल्पिक अधिकारों की घोषणा की। इस वैकल्पिक प्रस्ताव में पूरे देश के लिए एक कानून बनाने की प्रतिबंधता थी जिसमें सब लोगों को पर्याप्त सरंक्षण, अल्पसख्यक, जनजाति, पिछड़े वचित और अन्य वर्गों की

गारंटी तथा सरंक्षण प्रदान किया गया। इसके अलावा भारतीय सविधान के प्रस्तावना का एक अद्वितीय स्थान है। जिसका प्रारम्भ ही हम भारत के लोग, भारत को प्रभुत्व सम्पन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष इस सविधान को अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते है के साथ **होता** है। इसके साथ ही भारत में सामाजिक वर्ग अलग अलग आधारों पर बटा हुआ जिसमे धर्म जाति, वंश, नृजातीयता इत्यादि साथ ही साथ दलित, आदिवासी महिलाओं के मानव अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए संवैधानिक तौर पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजातीय आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के मानव अधिकार को कानूनी तौर पर एवं संवैधानिक पहलूओं को सुरक्षित रखने को प्रयास किया जाता है। इस लेख का केन्द्रीय बिन्दु यह कि क्या मानव अधिकार का उपयोग कानूनी और संवैधानिक सस्थाओं के द्वारा समाज का प्रत्येक व्यक्ति कर पा रहा है? इस लेख को चार भागों में वर्गीकृत किया गया है, प्रथम भाग मानव अधिकार क्या है? उसकी विस्तृत सकल्पनाओ की व्याख्या की गई भाग दो, मानव अधिकार का विकास किन–किन स्रोतों के द्वारा हुआ इसका विस्तार से विवेचन किया गया है। भाग तीन भारत में सविधान के तहत मानव अधिकारों को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त कर अध्किारों पर प्रकार डाला गया है और भाग चार, में राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा किस हद तक मानवीय अधिकारों का सरंक्षण किया जाता है इसकी चर्चा की गई है।

भारतीय साहित्य में मानव अधिकार का प्राचीन धर्मशास्त्राों, ग्रंथों, वेदों, उपनिषदों, एवं श्रुतियों के द्वारा इसका उल्लेख मिलता है। प्राचीन वेदों में ना केवल पूरी मानव जाति के जीवन के समान गुणवत्ता की बात की गई है बल्कि परस्पर भातृत्व की भावना पर भी बल दिया गया है। वैदिक साहित्य में 'सर्वे भवन्तुः सुखिनः को भोजन, पानी, हवा, आश्रय इत्यादि प्राकृतिक साधनों पर सभी लोगों के समान अध्किार को स्वीकार किया गया है। धर्म का प्राथमिक महतवपूर्ण श्रोत सभी प्रकार के मानव अध्किारों एवं दायित्वों का वर्णन किया गया है और उसके संरक्षण एवं संर्वध्न से लोगों के जीवन, सुख, शान्ति, व हर्ष को बनाये रखना आवश्यक माना गया है। कौटिल्य ने भी अपनी पुस्तक 'अर्थशास्त्र' में राजा एवं प्रजा दोनों के अध्किारों का विस्तृत विवेचन किया है। कौटिल्य की इस अवधरणा को व्यापक मानव अधिकार की संकल्पना के रूप में समझा गया।

मानव अधिकार प्रत्येक व्यक्ति से जुड़ा अधिकार है, यह प्रत्येक व्यक्ति का जन्मसिध अधिकार भी है। इसको दनिया के प्रत्येक देश के संविधान में स्थान दिया गया है। मानव अधिकार का विकास पिछली कई शताब्दियों से हुआ है, इन अधिकारो को व्यक्ति में निहित अधिकार या किसी अन्य नाम से भी जाना जाता है, मानव अधिकार का आधार रंग, जाति, लिंग, धर्म या अन्य भेदभाव के बिना मानवीय गरिमा और उसके पूर्ण उपयोगिता के लिए सम्मान की भावना है। मानव अधिकार को ऐसे अधिकार के

रूप में समझा जाता है जो व्यक्ति के मानवीय जीवन के लिए आवश्यक है, मानव अधिकार की सर्वव्यापी व्यवस्था का उद्देश्य सभी समाजों में व्यक्ति के सम्मानपूर्ण जीवन के लिए परिस्थितियो का पुनः निर्माण और पुनरीक्षण करना, साथ ही समाज के राजनीतिक और आर्थिक उत्पीड़न का अस्तित्व हो वहाँ से मानवीय कष्टों का शुरू करना और विश्व के सभी हिस्सों में मानव जीवन को समृध और परिष्कृत करना।

सामान्य शब्दो में मानव अधिकार वह अधारभूत अधिकार है जो विश्व के किसी भी हिस्से में निवास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मानवोचित गुण होने के कारण मिलने चाहिए। इस संदर्भ में मानव अधिकार भेदभाव के बिना प्रत्येक व्यक्ति को न्यनूतम जीवन स्तर की गारंटी देता है, प्रफांसीसिस पफुकुयामा के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान किया जाना चाहिए और यह विचार व्यक्तिगत गरिमा के ढांचे में पर्याप्त निर्णायक मानव अधिकार है। यह तर्क देते है की इतिहास की प्रगति लोगों को मानव अधिकार के समर्थन की प्रेरणा प्रदान करती है क्योकि मानव अधिकार मानवीय गरिमा में सहायक सर्वाधिक त्रुटि रहित आदर्श का निर्माण करता है।

डेविड सेलवी के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति मानव होने के नाते मानव अधिकारो का उपयोग करता है। मानव अधिकार कमाए नही जाते और न किसी को दिये जा सकते है और न ही किसी समझौते द्वारा इनका निर्माण किया जा सकता है। यह अधिकार प्रत्येक व्यक्ति से संबन्धित है, वही प्लेनो और आलटन भी मानते है की मानव अधिकार वे अधिकार है जो व्यक्ति के जीवन, अस्तित्व और व्यक्तिगत विकास के लिए सर्वाधिक आवश्यक समझे जाते है। कौटिल्य ने अपने ग्रंथ 'अर्थशास्त्रा' में राजा के द्वारा अपनी प्रजा के अधिकारों तथा प्रतिष्ठा की रक्षा करने की वकालत की। प्लेटो ने अपने दर्शन में न्याय की प्रभावशाली योजना में नागरिकों और गैर अधिकारों की रक्षा के लिए व्यवस्थित प्रयास किए।

मानव अधिकार का एतिहासिक विकास: मानव अधिकार का एतिहासिक विकास प्राकृतिक अधिकार की अवधारणा मे देखा जा सकता है। 17वीं शताब्दी मे पूर्ण निरंकुश शासन और संपत्ति के अधिकार की आलोचना से बचाने के लिए नागरिक अधिकार और राजनीतिक अधिकार कहे जाने वाले अधिकारों का जन्म हुआ। हालांकि इससे पर्वू भी ग्रीक और रोमन सभ्यता मे भी मानव अधिकारो का अस्तित्व देखा जा सकता हैं। कुछ विचारको का मानना हैं कि ग्रीक साहित्य और कला से संबन्धित विचारक राज्य के विरू(व्यक्ति के बारे मे नहीं सोच सकते वही मध्य काल मे समाज मे कुछ बदलाव दिखाई पड़े जिसमे वेस्टपफेलिआ की संधि पुनर्जागरण और सामंतवाद प्रमुख थे। इसके बाद लोगो के विचारो मे बड़े स्तर पर बदलाव दिखाई पड़े। इंग्लैंड 1688 में अधिकारो का घोषणा पत्रा सामने आया इसके अलावा प्रफांसीसी क्रांति और अमेरिकी क्रांति ने भी इसे बहुत प्रभावित किया। बाद मे सभ्य समाजो के संविधान

में मौलिक अधिकार का कानून एक समान्य सि(ांत बन गया। 1890 मे अंतराष्ट्रीय संधि द्वारा दास व्यापार का उन्मलून किया गया। 1920 में दासता के उन्मलून के लिए मसौदा तैयार किया गया इसके साथ ही मानव अधिकार की सार्वभौम घोषणा हुई। 1948 की सार्वभौम घोषणा के अनुसार अच्छेद 1 मे यह स्पष्ट किया गया की सभी व्यक्ति स्वतंत्रा रूप से जन्म लेते है और मानवीय गरिमा व अधिकारों में समान है और लम सबको भ्रातृत्व की भावना के साथ एक दूसरे के साथ व्यवहार करना चाहिए। भारतीय परिप्रेक्ष्य में मानव अधिकार का इतिहास कापफी पुराना है)ग्वेद मे तीन नागरिक स्वतन्त्राता का उल्लेख किया गया है। इन अधिकारो की उत्पति धर्मग्रंथो, पुराणों वेदों और उपनिषधों मनुस्मृती और महाभारत में इनका का स्रोत मिलता है।

भारत में मानव अधिकार आन्दोलन की शुरूआत का श्रेय राजाराम मोहन राय को माना जा सकता है जिन्हों ब्रह्म समाज की स्थापना की। भारत के अतीत, वर्तमान एवं भविष्य की गहरी समझ एवं अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त कई भाषाओं के ज्ञाता रहे राजाराम मोहन राय ने अंग्रेजी शासन के प्रति उदारवादी एवं सौम्यवादी नीति अपनाने के बावजूद संवैधनिक सेवाओं के भारतीय कानूनों का संहिताकरण, प्रेस की स्वतंत्राता इत्यादि मांगों को लेकर अंग्रेजी शासन पर निरन्तर दबाव बनाए रखा।

राजाराम मोहन राय हिन्दू धर्म में प्रचलित सामाजिक कुरीतियों के घोर विरोधी थे क्योंकि ये कुरीतियां सामाजिक कुरीतियों के घोर विरोधी थे क्योंकि ये कुरीतियां बाल विवाह, देवदासी, सती प्रथा इत्यादि लोगों को उनके मानव अधिकार से वंचित करते थी। उन्होंने न सिर्पफ शिशु बलि, बहु विवाह, बाल विवाह, देवदासी एवं सती प्रथा का घोर विरोध किया बल्कि महिलाओं की संपत्ति पर अध्किार उनके पुर्नविवाह, विधवा तथा महिलाओं के परिपक्व हो जाने पर विवाह विवाह इत्यादि का समर्थन किया।

जब 1923 में ब्रिटिश शासन ने प्रेस की स्वतंत्राता पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की तो मोहनराय ने घोर विरोध किया। इससे इसाईयों द्वारा भारतीयों हिन्दू एवं मुस्लिमों की सुनवाई की व्यवस्था तो की गई थी किन्तु हिन्दू और मुस्लिमों की सुनवाई की व्यवस्था भी की हिन्दु एवं मुसिलमों की सुनवाई नहीं थी इसके विरुध (उन्होंने हिन्दु एवं मुस्लिमों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका भी प्रस्तुत की।

महाराष्ट्र में सामाजिक धार्मिक सुधार आन्दोलन का नेतृत्व एम.जी. रानाडे एवं ज्योतिबा पूफले ने किया। राष्ट्रीय आन्दोलन में सव्रिफय होने के बावजूद 1887 ईú में रानाडे ने सामाजिक रूप से पिछड़े शोषित एवं वंचित वर्ग के उत्थान के लिए भारतीय सामाजिक सभा की स्थापना की तथा उन सामाजिक, धार्मिक कुरीतियों का विरोध किया जो लोगों के मानव अधिकार का हनन करते थे। दूसरी तरफ ज्योतिबा पूफले ने 'सत्य शोध्क समाज' की स्थापना कर शोषित एवं प्रताड़ित तबकों के लिए मानव अध्किार के प्रति व्यापक जन जागरण का कार्य किया।

मानव अधिकार आन्दोलन के आरम्भिक विकास में दक्षिण भारत के सामाजिक धार्मिक सुधर आन्दोलन की भूमिका रही। श्री नारायण गुरू द्वारा त्रावनकोर के इरावां संप्रदाय के रीति रिवाजों एवे मूल्य के संस्कृतिकरण का जो आन्दोलन चलाया वह इस दिशा में काफी अहम रहा। स्वामी दयानन्द सरस्वती द्वारा स्थापित आर्य समाज, स्वामी विवेकानन्द द्वारा स्थापित राम कृष्ण मिशन, सैयद अहमद खां द्वारा स्थापित अलीगढ़ स्कूल जैसी संस्थाओं ने भी भारत के धर्मिक सामाजिक सुधर आन्दोलन में सराहनीय भूमिका अदा की।

मानव अधिकार तथा भारतीय स्वतन्त्राता संघर्षः– सन् 1895 से ही भारत में लिखित संविधानों की मांग की जाने लगी थी, भारत के लिए यह संविधान की परिकल्पना, प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतन्त्राता, प्रत्येक व्यक्ति की घर की अलंघनीयता, काननू की समानता, संपत्ति का अधिकार तथा निशुल्क शिक्षा जैसे सि(ांतों को भारतीय संविधान के विचार के रूप में गारंटी दी जाने लगी। इस दिशा में 1925 में राष्ट्र मण्डल का भारतीय विधेयक का निर्माण किया गया, राष्ट्र मण्डल के भारतीय विधेयक के अनुच्छेद 4 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों को स्पष्ट किया गया जो इस प्रकार है। व्यक्ति की स्वतन्त्राता, प्रत्येक व्यक्ति के निवास स्थान और संपत्ति का संरक्षण, चेतना व्यवसाय और धर्म की स्वतन्त्राता, विचारों को अभिव्यक्त करने एवं समुदाय बनाने का अधिकार, निःशुल्क प्रारम्भिक शिक्षा का अधिकार, सड़क, न्यायालयों सार्वजनिक स्थानो एवं इसी प्रकार के अन्य संस्थानों का प्रयोग, कानून के समक्ष समानता और स्त्राी पुरुष समानता इत्यादि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कराची में आयोजित अपने सत्रा में पहली बार अपने मौलिक अधिकारों की एक व्यापक योजना बनाई। यह योजना मौलिक अधिकारों के विकास की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण चिन्ह था। इस प्रस्ताव में कहा गया कि राजनीतिक स्वतन्त्राता के अंतर्गत भूख से पीड़ित लाखों लोगों की आर्थिक स्वतन्त्राता को भी शामिल किया जाना चाहिए जिससे कि शोषण का अंत हो सके। 1935 के भारत शासन अधिनियम के निर्माण से पहले कई भारतीय नेताओं ने गोलमेज सम्मेलन में मौलिक अधिकारों की घोषणा की मांग पर दुबारा बल दिया।

भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को सम्मिलित करने के प्रति भारतीय बहुत उत्साहित थे उनका मानना था कि स्वधीनता का अर्थ स्वतन्त्राता है और इस स्वतंतत्राता की अभिव्यक्ति अधिकारो से होती है। अतः अधिकारो को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूपो मे इसकी चर्चा की गयी, सर तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में 1944–45 में सर्व दलीय सम्मेलन द्वारा एक समिति का गठन किया गया। इस समिति की रिपोर्ट 1945 के अंत मे प्रकाशित हुई इस रिपोर्ट में कहा गया की संविधान में राजनीतिक और नागरिक अधिकारों के संबंध में प्रत्येक वर्ग को समानता, स्वतन्त्राता एवं संरक्षण की समानता, प्रत्येक व्यक्ति को धर्म तथा पूजा की स्वतन्त्राता सुनिश्चित की जाएगी।

मानव अधिकारो के प्रति संविधान सभा में वाद विवाद – भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की लिखित गारंटी दी गयी है। 1946 के कैबिनेट मिशन योजना में भारतीय संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा के निर्माण का विचार प्रस्तुत किया गया था जिसके कारण एक सलाहकारी समिति का निर्माण हआ जो संविधान सभा को मौलिक अधिकारों के सुझावों की एक रिपोर्ट पेश करे। कैबिनेट मिशन के सुझाव के अनुसार 24 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने सलाहकारी समिति की स्थापना को समर्थन दिया और सरदार पटेल इसके अध्यक्ष नियुक्त हुए। समिति को मौलिक अधिकारों की सूची, अल्पसंख्यकों के संरक्षण संबंधी खंड इत्यादि की रिपोर्ट संविधान सभा को पेश करनी थी। उस समय मानव अधिकार को चार रूपों मे समझा जा सकता है। ऐसे अधिकार जो व्यक्ति के जीवन मे निहित है। जीवन का अधिकार ऐसा अधिकार है जो व्यक्ति के जीवन और विकास के लिए आवश्यक है ;शिक्षा का अधिकारद्ध ऐसा अधिकार है जिनका लाभ उचित सामाजिक स्थितियो मे उठाया जा सकता है। संपत्ति का अधिकार भी ऐसा अधिकार है जिसको व्यक्ति कि प्राथमिक अवश्यकता के रूप मे प्रत्येक देश के संविधान मे समावेश किया गया है।

व्यापक तौर पर मानव अधिकार का वर्गीकरण तीन चरणो मे किया जा सकता है जहां पहले चरण में मानव अधिकार का संबंध स्वतन्त्राता से है पहले उन अधिकारो की गिनती नागरिक और राजनीतिक अधिकारो मे होती है। जिसके तहत विचारो की स्वतन्त्राता न्यायिक प्रक्रिया और धर्म की स्वतन्त्राता शामिल है। दूसरे भागो मे मानव अधिकारो का संबंध समानता से है सामाजिक संबंधो मे यह अधिकार सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार कहलाते है यह अधिकार सबके समान व्यवहार और सबके लिए समान परिस्थिति सुनिक्षित करते हैं। वही तीसरे भाग मे उन अधिकारो को शामिल किया गया है जिससे सामाजिक सुदृढ़ता को देखा जाता है।

भारतीय संविधान और मानव अधिकार : भारतीय संविधान बनने से पर्वू राष्ट्रीय आदोलन में मानव अधिकार का इतिहास देखा गया जब 1928 मे मोतीलाल नेहरू ने अपनी रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट मे निशुल्क प्राथमिक शिक्षा, जीवन निर्वाह योग्य भत्ता, भ्रातृत्व सहायता तथा बच्चो के कल्याण से संबन्धित अधिकार सूचीब(किया गया और इन्हे 1946 मे जवाहर लाल नेहरू ने मानव अधिकारो के वैकल्पिक अधिकारो के रूप मे घोषणा की जिसमे सब लोगो को पर्याप्त संरक्षण, अल्पसंख्यक, जनजाति पिछड़े वंचित वर्गो की गारंटी तथा संरक्षण प्रदान किया जाता है। इन अधिकारो को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 खंड ;1द्ध में यह निर्देशित किया गया है कि वह धर्म, मल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान, या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नही करेगा। राज्य जो भी काम करेगा उसमें विभेद नही कर सकता, यह प्रतिषेध राज्य के विरु(है प्राइवेट व्यक्तियों के विरु(नही। अनुच्छेद 15 का खंड ;2द्ध राज्य या प्राइवेट व्यक्ति दोनों को यह आदेश देता है कि इनमें से कोई भी दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों,

होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान में प्रवेश या कुओं तालाबो, और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग में विभेद नही करेगा। खंड ;3द्ध राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए विशेष उपबंध करने कि शक्ति देता है, खंड ;4द्ध संविधान ;पहला संसोधन अधिनियम 18 जून 1951 को जोड़ा गया। इस संसोधन का उद्देश्य राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के वर्गों के लिए और अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए विशेष उपबंध बनाने के लिए समर्थ करता था। खंड ;5द्ध संविधान का 93वां संशोधन अधिनियम, 2005 द्वारा जोड़ा गया, इनमे राज्य को ऐसी विधियां बनाने के लिए सशक्त किया गया है। अनुच्छेद 16 का खंड ;1द्ध और खंड ;2द्ध राज्य के अधीन किसी पद या अन्य नियोजन में नियुक्ति के विषय में सभी नागरिकों को समान अवसर की प्रत्याभूति देता है। अनुच्छेद 16 का खंड ;4द्ध पिछड़े वर्गों के पक्ष में आरक्षण कि अनुमति देता है किन्तु ऐसा स्त्रियों के पक्ष में नही किया जा सकता है।

स्त्रियों के प्रति नरमी दिखाते हुए भर्ती के नियमों में या आहर्ताओं के बारे में नियम शिथिल नही किए जा सकते। यह नही माना जा सकता कि सभी स्त्रियाँ पिछड़े वर्ग में है, अनुच्छेद 15;4द्ध और 16; 4द्ध और साथ ही अनुच्छेद 351 और 352 का प्रयोजन एक ही है एक से भिन्न नहीं है। जो व्यक्ति जन्म से उच्च जाति का है, वह केवल विवाह के कारण ;अर्थात अनसचित जाति या अनसचित जन जाति के परुष से विवाह करके अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य नहीं बन सकता तभी सच्चे मायानों में सामाजिक न्याय स्थापित हो सकता है।

नियोजन में पिछड़े वर्ग से आरक्षण से संबन्धित विधि इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ में 9 न्यायाधीशों की एक पीठ ने निर्णय किया। इस निर्णय को मण्डल आयोग के नाम से जाना जाता है। इसमें खंड 16;4द्ध उन सभी बातों को अधिकथित करता है जो नियोजन के विषय में पिछड़े वर्ग के पक्ष में की जाती है, इस खंड के तहत जिस पिछड़ेपन की बात की गयी है वह मुख्यतः सामाजिक है। यह आवश्यक नहीं की वह सामाजिक और शैक्षणिक दोनों हो जैसी अनुच्छेद 15;4द्ध में है, जाति को वर्ग माना जा सकता है यदि कोई जाति सामाजिक रूप से पिछड़ी है तो अनुच्छेद 16;4द्ध के प्रयोजन के लिए वह पिछड़ा वर्ग होगी। अनच्छेद 17 और 18 समता के एक विशिष्ट पक्ष से जुड़े हए है, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उत्सादन करता है। इस प्रकार उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर तिरस्कार का सामना करना पड़ता था, यह हिन्दू समाज का कलंक था,स्वामी दयानन्द, महात्मा फुले, वीर सावरकर, महात्मा गांधी और डॉ. अंबेडकर ने इस अमानवीय व्यवहार का विरोध किया।।

अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है और सभी रूप में अस्पृश्यता के व्यवहार को निषिद्ध करता है। इस उपबन्ध में संविधान में सम्मिलित किए जाने से यह प्रगट होता है कि संविधान सभा द्वारा इस

कुरुति को समाप्त करना कितना महत्वपर्ण समझा गया था, यह अधिकार निजी व्यक्तियों के विरुद्ध लागू किया जा सकता था। अस्पृश्यता की कुरुति ऐसी है कि जो राज्य अस्पृश्यता का आचरण नहीं कर सकता ऐसे आचरण केवल मनुष्य द्वारा ही किया जा सकता है। अनच्छेद 35 संसद को अस्पृश्यता के आचरण के लिए दंड विहित करने के लिए विधि बनाने की शक्ति देता है, इस शक्ति का प्रयोग करते हुए संसद ने अस्पृश्यता ;अधिनियमद्ध 1955 अधिनियमित किया गया। 1976 में इसे और कठोर बनाया गया और इसका नाम परिवर्तित करके इसे नया नाम सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 किया गया। इस अधिनियम में निम्नलिखित के लिए दंड विहित किए गए, किसी व्यक्ति को सार्वजनिक पूजा स्थल में प्रवेश करने से या ऐसे स्थान में पूजा करने से रोकना होगा, अस्पृश्यता के आधार पर अनुसूचित जाति के किसी सदस्य का अपमान करना। ऐतिहासिक, दार्शनिक, धार्मिक, या अन्य आधार पर अस्पृश्यता को न्यायाचित ठहराना–किसी दुकान–जलपान गृह, होटल या सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान पर प्रवेश नहीं करने देना, अस्पताल में प्रवेश से इंकार करना, कोई माल बेचने या सेवाए देने से इंकार करना। इस अनुच्छेद से एक समतापर्ण समाज का उदय हुआ है, इस प्रकार से अनुच्छेद 15;2द्ध अस्पृश्यता की समाप्ति का उल्लंघन करता है,क्योकि इसमें कहा गया है कि जाति के आधार पर किसी व्यक्ति को दुकानों, कुओं, तालाबों आदि में प्रवेश करने ने नहीं रोका जा सकता।

इसके साथ ही अनुच्छेद 19 में स्वतन्त्रता के अधिकारों का विवेचन किया गया है, इनमें से 6 स्वतन्त्रता का उल्लेख किया, प्रारम्भ में इनमे सात स्वतन्त्रता थी। संपत्ति के अर्जन, धारण और व्ययन का अधिकार था, 44वे संसोधन अधीनियम 1978 द्वारा इसे उत्सादित किया गया। वर्तमान में अनुच्छेद 19 में भी छः स्वतंत्राताए रह गयी हैं। वो इस प्रकार है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता, शातिपूर्ण और निरायु(सम्मेलन की स्वतन्त्रता, संगम या संघ बनाने की स्वतन्त्रता, भारत के राज्यक्षेत्र में स्वतन्त्रता अबाध संचरण की स्वतन्त्रता, भारत के राज्य क्षेत्रा के किसी भाग में निवास करने और बस जाने की स्वतन्त्रता, कोई वृति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतन्त्रता।

अनुच्छेद 19 का उद्देश्य नागरिकों को राज्य की कार्यवाई से संरक्षण प्रदान करना है। कार्यवाई विधायी या कार्यपालिका से हो सकती है, यह अनुच्छेद किसी निजी व्यक्ति द्वारा अधिकार के अतिक्रमण से संरक्षण नही देता है, किन्तु यदि निजी व्यक्ति राज्य का समर्थन है तो संरक्षण का लाभ उठाया जा सकता है। अनुच्छेद 19 द्वारा दिया गया स्वतन्त्राता का अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है, अन्य व्यक्तियों को यह अधिकार प्राप्त नही है, कोई विदेशी, कोई कंपनी या नगरपालिका कोई भी इन अधिकारो को प्रवृत्त नही करा सकता है। वाक स्वतन्त्राता एवं अभिव्यक्ति के अधिकार के अंतर्गत भारत के भीतर और भारत के बाहर व्यक्तियों को प्रभावी रूप से सूचना के आदान प्रदान का अधिकार है, वायुतरंगे लोकसम्पत्ति है और इनका प्रयोग लोक हित में होना चाहिए, उन पर कुछ मर्यादाए लगाई जा

सकती है, वायु तरंगों को नियंत्रित या विनियमित करने के लिए सरकार को एक स्वतंत्रात एवं स्वायत प्राधिकार की स्थापना करनी चाहिए, अनुच्छेद 19 1;खद्ध में सम्मलेन का अधिकार रखा गया एकत्रा होने का सबसे सामान्य तरीका है सभाए करना। इसके अंतर्गत सभाए करना और जुलूस निकालना, इस अधिकार का दावा वही सम्मेलन कर सकता है जो शातिपूर्ण हो, इस अधिकार पर भारत की अखंडता और प्रभुता लोक व्यवस्था के हित में यक्तियक्त निर्बंध लगाए जा सकते है। यह अनुच्छेद ऐसे सम्मेलन को संरक्षण प्रदान नही कर सकता जो हिंसक हो या जो बलवा करता हो या जो सशत्र सम्मेलन करता हो, सार्वजिक सभा करने या जुलूस निकालने का अधिकार सम्मेलन के अधिकार से उदभूत होता है। इसका अर्थ यह नही की कोई भी नागरिक किसी की संपत्ति पर कही भी सभा कर ले सरकार को सभा या समिति का स्थान नियंत्रित करने का अधिकार है।

नागरिकों के जलसे निकालने के अधिकार का उदगम अनच्छेद 19;1 में है। जुलूसो या अन्य जलसों में कोई अंतर नही है, जुलूस एक चलायन सभा है, सभा स्थिर होती है, धार्मिक जलसों को इसके अतिरिक्त अनच्छेद 25 का संरक्षण मिलता है। जो व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के मलू अधिकार के प्रयोग में बाधा करता है वह दोषकर्त्ता है, राज्य का यह कर्तव्य है कि ऐसे दोषकर्त्ता से सख्ती से निपटे। अनुच्छेद 19;गद्ध नागरिकों को संगम या संघ बनाने का आधिकार है। इसके अंतर्गत संगम प्रारम्भ करने और उसे चालू करने का अधिकार है, इसे किसी संघ का सदस्य बनने से इंकार करने या दूर करने का नकारात्मक अधिकार भी है। इसी अनुच्चछेद के अधीन कंपनी, सोसाइटी या भागीदारी, व्यवसाय संघ, क्लब आदि बनाने का अधिकार है, सशस्त्रा बलों और अनुच्छेद 33 में उल्लिखित अन्य सेवाओ को लागू करने का अधिकार सीमित किया गया है। रक्षा स्थानाओ में नियोजित कुछ रसोइये, चौकीदार, मेकेनिक दर्जा आदि सिविल कर्मचारियो ने संगम बनाने का अधिकार का दावा किया। संगम बनाने का अधिकार का यह अभिप्राय नही की संगम को मान्यता दी जाय या मान्यता चालू रखी जाय। सरकारी कर्मचारी ऐसे संगम के सदस्य नही बनेगे जिसे मान्यता न दी गयी हो और ऐसे संगम से अपनी सदस्यता वापस ले लेंगे जिसकी मान्यता समाप्त कर दी गयी हो।

उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों को ध्यान में रखते हुए यह माना कि प्रत्येक व्यक्ति की जीवित रहने का पूरा अधिकार है साथ ही साथ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 एवं 24 में माना कि गरिमा को ध्यान मे रखते हए शोषण के विरु(अधिकार का विवेचन किया गया है। अनुच्छेद 23 मानव के द्रुर्व्यवहार, बेगार और सभी प्रकार के बलात्श्रम को प्रतिषि(करता है, व्यापार के उदाहरण किसी मनुष्य का विक्रय या किसी मनुष्य कि सेवाओं को प्रतिपफल के लिए गिरवी रखना। जो लोग इस आदेश का उल्लंघन करेगे उन्हें दंडित करने के लिए संसद ने अनैतिक व्यापार अधिनियम और बंधित श्रम प(ति अधिनियम पास किया है। इसी प्रकार अनुच्छेद 24 के अंतर्गत 14 वर्ष से काम

आयु के किसी बालक को कारखाने, खान या किसी अन्य परिसंकट मय नियोजन प्रतिषेध करता है। एम सी मेहता वनाम तमिलनाडु में न्यायालय ने यह सामाजिक न्याय को ध्यान में रखने हुए यह आदेश दिया कि शिवकशी में माचिस के उद्योग में किसी बालक को नियोजित नही किया जाएगा। न्यायालयाओं ने बालकों के कल्याण के लिए बालश्रम पुनर्वास कल्याण निधि बनाने के लिए विस्तृत मार्गदर्शन किया, भारतीय संविधान के अंतर्गत सामाजिक न्याय को कायम रखते हुए सभी नागरिकों को विचार, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्राता का अधिकार है। उद्देशिका और अनुच्छेद 25 से 28 के उपबंध धर्म और उपासना के विषय में समानता कि प्रत्याभूति देते है। 42वें संविधान संसोधन ने उद्देशिका में पंथनिरपेक्षता शब्द जोड़कर इस बात को और अधिक स्पष्ट कर दिया। पंथनिरपेक्षता का अर्थ है राज्य सभी धर्मों के प्रति तटस्थता और निष्पक्षता का व्यवहार करेगा इसके अलावा संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 29 और 30 सामाजिक न्याय को कायम करते हुए सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 30 विशेष रूप से यह उल्लेख करता है शिक्षा संस्थान प्रत्येक व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए अल्पसंख्यको को अपनी रुचि कि शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा।

संवैधानिक उपचारो का अधिकार : इस अधिकार के अंतर्गत इसे पाँच भागों में बांटा गया।

बंदी प्रत्यक्षीकरण : इसका अर्थ है हमारे सम्मुख शरीर प्रस्तत करो इस आदेश के अनसार न्यायालय किसी व्यक्ति को जिसे गैर कानूनी ढंग से बंदी बनाया गया है वह आज्ञा दे सकता है की बंदी के। न्यायालय मे उपस्थित किया जाय।

परमादेश आज्ञापत्रा : इसका अर्थ है हम आदेश देते है इस आदेश द्वारा न्यायालय किसी संस्था अथवा निम्न न्यायालय को अपने कर्तव्यो का पालन करने के लिए बाध्य कर सकता है।

मनाही आज्ञा पत्रा : इसका अर्थ है मना करना अथवा रोकना इस आदेश द्वारा आमुख कार्य इस आदेश द्वारा सर्वोच्च न्यायालया यह आदेश देता है कि आमुख कार्य जो उसके अधिकार क्षेत्रा से बाहर है उसे एकदम बंद कर दे।

उत्प्रेषण : अच्छी प्रकार सूचित करे यह आदेश उच्च न्यायालय निम्म न्यायालय को जारी करता है जिसके द्वारा निम्न न्यायलय को किसी अभियोग के जानकारी देने का आदेश दिया जाता है।

अधिकार पृच्छा लेख : इसका अर्थ है किसी के आदेश से अथवा अथवा किसी अधिकार से यह आदेश जारी किया जाता है जब कोई व्यक्ति ऐसे कार्य करने का दावा करता है जब उसको वह करने का अधिकार न हो।

इसके अलावा मानव अधिकार के संरक्षण के लिए भारत में अन्य संस्थायो मे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की 1993 मे मानव अधिकार आयोग की स्थापना की गयी यह एक अन्वेषन अभिकरण है जिसके द्वारा मानव के हनन के एक अन्वेषन करने वाले अभिकरण के रूप मे अन्वेषन की जांच करता है। मानव अधिकार आयोग ने हिरासत मे होने वाले मौतों, मुठभेड़ पुलिस का गुंडाराज, बलात्कार, हत्या, देश में भुख से होने वाली मौंते जैसे मुददे का अन्वेष्ण करके महत्वपूर्ण भूमिका द्वारा, अदा की है। इसके अलावा आयोग ने पीड़ित पक्ष को मुआवजा दिलाकर भत्ते को सुनश्चित करके सत्ता की इसके सुझाओ को लागू करने के द्वारा समाधान के लिए उन पर नियंत्राण लगाया इसके साथ ही राष्ट्रीय मानव आयोग ने तिहाड़ मे टेलरिग बड़ईगिरि और जिल्दसाजी के वैकिल्पिक सुझाव दिये।

वही दूसरी तरफ राज्य स्तर पर राज्य मानव अधिकार की स्थापना की गयी इस आयोग का एक अध्यक्ष एसा व्यक्ति होता है जो उच्च न्यायलाय के आदेश पर रहा हो और जिन्हे मानव अधिकार का ज्ञान हो को राज्यपाल इसके सदस्यो की नियुक्ति 5 वर्ष की स्थायी कार्यकाल के लिए करता है। इसके साथ महिलाओ की मानव अधिकारो की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग का 1992 में गठन किया गया है। यह आयोग महिलायो को प्रदत सुरक्षा संबंधी सभी मामलो की जांच पड़ताल करता है आयोग केंद्र सरकार को प्रति वर्ष अपनी रिपोर्ट भेजता है साथ ही साथ महिलाओं की सुरक्षा संबन्धि प्रावधानों पर भी अपनी सुझाव देता है जो इस प्रकार है।

–आयोग मानव अधिकार के हनन संबंधी शिकायतों का प्रववेक्षण करता है।

–यह आयोग महिलयों को प्रति वर्ष जब भी उचित समझे उन्हे सुरक्षा प्रावधानों पर रिपोर्ट देते है।

–यह आयोग केंद्र या किसी राज्य की महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए सुरक्षात्मक उपायो को प्रभावी ढंग से लागू करने की सिपफारिश करता है।

–यह आयोग कानूनी प्रावधानों के चलते विभिन्न मद्दों को अधिकारियों के सामने लता है। जिससे उस मुद्दे का समाधना हो सके।

–महिलाओं के कल्याण की सुरक्षा को ध्यान मे रखते हुए उनके लिए समानता की बात करता है।

राष्ट्रीय अल्प संख्यक आयोग : इस आयोग की स्थापना 1992 मे की गयी यह आयोग भी अल्पसंख्यको के मानवीय अधिकारो की रक्षा करता है।

–अल्पसंख्यक के विकास का समय समय पर मल्यूांकन करना।

–उनके अधिकारो को सुरक्षित बनाने का हर संभव प्रयास करना।

–केंद्र तथा राज्य सरकारो के मानव अधिकारो के प्रभावी संरक्षण के लिए सुझाव देना।

अनुसूचित जाति आयोग व अनुसूचित जनजाति आयोग राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एवं अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना 1978 में की गयी थी जिसका उद्देश्य इन वर्गों के लिए सुरक्षात्मक कार्य करना था इस आयोग मे एक अध्यक्ष व अन्य सदस्य होते है इस आयोग का प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं।

– अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग के व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करवाना जिससे वे अपने मानव अधिकार को सुरक्षित रख सके।

– प्रति वर्ष अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपना।

– इस वर्ग से संबन्धित रखने वाले लोगो को उनके कल्याण के लिए समय समय पर सुझाव देना।

सामाजिक सुधार आन्दोलन एवं मानव अधिकार :– भारत में मानव आन्दोलन का इतिहास सामाजिक धार्मिक सुधार आन्दोलन एवं भारत के पुर्नजागरण आन्दोलन से जुड़ा हुआ है। बाद में राष्ट्रीय आन्दोलन के नेतृत्व कर्ताओं ने भी मानव अधिकारों के प्रति अपनी प्रतिब(ता एवं मानव अधिकारों को प्रदर्शित किया।

सामाजिक धार्मिक सुधार आन्दोलन के संदर्भ में बगांल की भूमिका काफी अहम रही। यूरोपीय पुनर्जागरण आन्दोलन के विलियम कैरी और जोसुआ मार्श मेन जैसे अग्रणी नेताओं से प्रभावित होकर राजाराम मोहन राय व ईश्वर चन्द्र विद्यासागर जैसे समाज सुधरकों ने समाज के कुछ पिछड़े, दमित और शोषित तबकों की सामाजिक स्थिति में उत्थान हेतु निरन्तर संघर्ष करते रहे।

विभिन्न संस्थाएं

मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा पत्र – 1948 – 10 दिसम्बर 1948 को मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा की गई। इसके अंतर्गत वे अधिकार आते हैं जो सभी व्यक्तियों ने स्वतंत्रता व प्रतिष्ठा का जीवन जीने तथा एक समान मानवता के आधर पर प्राप्त किये हैं। ये अधिकार प्रत्येक व्यक्ति तथा सामाजिक व्यवस्थाओं की आचरण संबंधी नैतिकता का मानदण्ड प्रदान करते हैं तथा ये अध्किार सार्वभौमिक, अहरणीय तथा अविभाज्य है। इन अध्किारों के संदर्भ में मानव अधिकार अहरणीय है क्योंकि ये किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा छीने नहीं जा सकते तथा ये अविभाज्य भी है।

इस घोषणा पत्र में यह स्पष्ट किया गया है कि सभी मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुए है तथा सभी के अधिकार एवं प्रतिष्ठा एक समान है तथा तीसरे अनुच्छेद में यह कहा गया है कि सभी को जीवन, स्वतंत्रता एवं व्यक्ति की सुरक्षा का अध्किार है। यह भी कहा गया है कि इन सभी को मूलभूत अध्किारों एवं स्वतंत्रता

का उपयोग प्रत्येक व्यक्ति बिना किसी जाति, धर्म, वर्ण, लिंग, भाषा धर्म, जन्म स्थान के बिना करने का हक रखता है। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग तथा महिलाओं की स्थिति पर गणित आयोग की रिपोर्टों के आधर पर उद्घोषणा सभी लोग तथा सभी राष्ट्रों के लिए उन्नति के एक समाज मानदण्ड प्रदान किया गया है।

मानव अधिकार संबधी अंतराष्ट्रीय अधिकार पत्र – 1979 में संयुक्त राष्ट्र ने महिलाओं के विरुध भेदभाव को समाप्त करने के लिए एक समझौता किया जिसे महिला अधिकार संबंधी अंतराष्ट्रीय बिल के नाम से जाना गया। इस बिल में अनेक राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किये सिफ इसलिए नहीं कि यह व्यापक रूप से अनुसमर्थित मानवाध्किारों का अंतराष्ट्रीय संधि पक्ष है बल्कि इसलिए भी कि ऐसी एतिहासिक घटना पहली बार हुई है।

महिला अधिकार संबंधी अंतर्राष्ट्रीय अधिकार पत्र के अनुसार ''लिंग के आधर पर महिलाओं के साथ किया गया किसी भी प्रकार का भेदभाव राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सांस्कृतिक या किसी भी क्षेत्रा में उनके मौलिक अध्किारों तथा स्वतंत्रता के उपभोग को निष्प्रभावी बना देता है। यह अधिकार पत्र पुरुष के बराबर अधिकार की स्थापना करता है। जिसमें राजनीतिक सहभागिता ;अनुच्छेद 7–8द्ध शिक्षा ;अनुच्छे 10द्ध कार्य ;अनुच्छेद 11द्ध स्वास्थ्य ;अनुच्छेद ;12द्ध)ण सुविधएं अनुच्छेद तथा विवाह, प्रजनन संबंधी तथा तलाक ;अनुच्छेद 16द्ध के अध्किार भी सम्मिलित है।

वियना सम्मेलन – विश्व स्तर पर मानव अधिकारों का सम्मेलन 1993 में आयोजित हुआ जिसमें यह स्वीकार किया गया कि महिलाओं के मानव अधिकार अहास्तातरणीय तथा यह सार्वभौमिक अभिन्न एवं अविभाज्य अंग है। इस सम्मेलन में महिलाओं के विरुध हिंसा का मुद्दा भी उठाया गया साथ ही नागरिक एवं निजी अधिकारों तथा स्वतंत्राताओं की महत्ता भी स्पष्ट की गई। इसमें इस बात पर बल दिया कि सांस्कृतिक तथा अंतर्राष्ट्रीय अवैध व्यापार के फलस्वरूप लिंग आधरित हिंसा तथा हर प्रकार का यौन उत्पीड़न मनुष्य की प्रतिष्ठा के विरुध है तथा इसे समाप्त किया जाना जरूरी है।

–आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय प्रंसविदा – मानव अध्किारों के अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों को प्रोत्साहन और समझ के तीन प्रकार है जो संक्षिप्त में इस प्रकार है।

– काम का उचित और न्यायपूर्ण दशा का अधिकार

– सामाजिक संरक्षण का अधिकार, निवास के लिए उचित मानवीय दशाओं का अधिकार

– शिक्षा का अधिकार, सांस्कृतिक स्वतंत्राताओं के लाभों तथा वैज्ञानिक प्रगति का उपभोग करने का अध्किार

किसी भी प्रकार के भेदभाव में बिना इन आत्मबोध को प्रगतिशील पूर्ण वास्तविक प्रासगविदा में प्रदान की गई है इसके कार्यान्वयन को आर्थिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक अध्किारों की समिति देखती है। इस समिति की स्थापना 1965 में की गई है इसमें 18 विशेषज्ञों की सदस्यता का प्रावधान है। जो राज्य के सदस्यों द्वारा नामित करने के बाद चुने जाते हैं।

सांस्कृतिक और राजनीतिक अध्किारों की अंतर्राष्ट्रीय प्रसविदा – इस प्रंसविदा में निम्न प्रावधन है– जीवन एकांतता और निष्पक्ष रुप से न्याय पाने का अधिकार।

धर्म का अधिकार, दमन में स्वतंत्रता, कानून में समझ की समानता। इस प्रसंविदा में भेदभाव की मनाही की गई है। यह खंड अपने कार्यालय के क्षेत्र में विस्तृत है हालांकि इसी प्रकार एक प्रावधान भी किया गया है। परन्तु यह केवल घोषणा में दिये गये अधिकारों के क्षेत्र तक ही सीमित है।

मानव अधिकार आन्दोलन के प्रमुख मुद्दे एवं चुनौतियां – भारत में मानव अधिकार आन्दोलन की सव्रिफयता एवं गतिशीलता के समझ अनेक चुनौतियां विद्यमान है। भारतीय समाज में गहरी होती लोकतंत्र की जड़े तथा मानव अध्किार आन्दोलन की बढ़ती व्यावसायिकता के कारण इसकी चुनौतियां बढ़ गई है। राज्य अथवा व्यक्ति इसमें गंभीर रूप से संलग्न है। तटवर्ती क्षेत्राों में व्यवसायिकता के मुददे, पर्यावरण, प्रदूषण की समस्या औद्योगिक विकास का सही तरह से प्रगति न हो पाना, किसान व मजदूरों के मुद्दे, कई प्रकार के सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों से जुड़े मुद्दे भी प्रमुख रहे।

दूसरी तरफ सार्वजनिक जीवन के सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रा में जटिल एवं दुर्गगामी परिवर्तन के फलस्वरूप जनसंख्या पलायन व विस्थापन की **प्रक्रिया** की शुरूआत भी मानव अधिकार आन्दोलन की भूमिका का विस्तार किया।

तीसरा, आतंकवादी घटनाओं के पफलस्वरूप जान माल का नुकसान होना और लोगों का शोषण एवं प्रताड़न होता है उसके प्रति भी मानवाध्किार आन्दोलन को सजग होना होगा।

चौथा, मानवाधिकार समूहों की कार्य प्रणाली एवं संगठन को उचित दिशा देने की आवश्यकता है। चूंकि इन समूहों की संख्या बढ़ती जा रही है इसलिए इनके बीच सामंजस्य भी सपेक्षित है। इसके साथ ही मानवाधिकार समूह सव्रिफय एवं प्रभावों त्पादक रूप से कार्य कर सके इसके लिए आवश्यक है कि संगठन लोकतंत्रीकरण हो।

पांचवा, मानव अधिकार संगठनों एवं समूहों में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं निध्यिों की घपलेबाजी को तब भी मानवाध्किार आन्दोलन की सीमाओं को उजागर करता है। मानवाध्किार संरक्षण के नाम पर गैर सरकारी संगठन ध्न उगाही के अभिकरण बनते जा रहे हें। इन समूहों के स्वामी आज अध्कि लालची होते जा रहे हैं। इन समूहों में भी स्वार्थपरता एवं श्रेत्रावाद के तत्व घर करते जा रहे हैं।

छठा, आज मानवाधिकार आन्दोलन द्वारा व्याप्त सामाजिक संदर्भ एवं हित में संतुलित दृष्टि कोण अपनाने की जरूरत है। विकास के नाम पर यदि लोगों में मानवाधिकार का हनन होता है, उनकी भूमि होनी जाती है तो मानवाधिकार समूहों को सम्ब(क्षेत्रा के लोक हितों एवं सामाजिक संदर्भ को देखना होगा।

निष्कर्ष – मानव अधिकार का संबंध मानव से है, यह अधिकार प्रत्येक मनुष्य को प्राप्त है चाहे वह किसी संविधान द्वारा या सार्वभौम घोषणा पत्रा द्वारा प्रदान किया गया हो। हालांकि मानव अधिकारों को सुरक्षित बनाए रखने के लिए पफैलाई जाने वाली जागरूकता किसी क्रांति से कम नही है परंतु पिफर भी इस दिशा में बहुत कुछ किया जाना शेष है।

भारतीय संविधान मानव अधिकार के कार्यान्वन तथा सशक्तिकरण के लिए हमेशा कार्यरत रहता है, हालांकि मानव अधिकार को सुरक्षित बनाए रखने के लिए संविधान द्वारा उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को अधिकार प्रदान किया गया है ताकि किसी व्यक्ति के मानवीय अधिकारों का उल्लंघन होने पर उसे सुरक्षा प्रदान किया जा सके।

इसके अलावा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग राज्य मानव अधिकार आयोग महिलाओं एवं अल्प संख्याकों से संबंधित आयोग जैसे सरकारी राष्ट्रीय संगठनों की स्थापना के बावजूद भी मानव अधिकार के संरक्षण एवं संवधन का लक्ष्य अभी भी इस की वस्तु बनी हुई है। मानवाधिकार के हनन के आज भी कई मामले संगठनों से समक्ष प्रकर रूप में हैं। मानव अध्किार की बढ़ती हुई घटनाएं इन संगठनों की भूमिका को संदेह के धेरे में लेते हैं। ऐसे में इनके समक्ष जनता के खोये हुए विश्वास को प्राप्त करने की चुनौती है। इतना ही नहीं मानवाधिकार से जुड़े मुद्दे गैर सरकारी संगठन द्वारा भी लोकहित को ध्यान में रखकर तथात्मक एवं ठोस सूचना–इक्टठा करने की आवश्यकता है उन्हें एक निष्प्रिय सहयोग की भूमिका त्यागनी होगी। यदि उन्हें यह लगता है कि सरकारी संस्थाएं एवं प्रत्यन मानवाध्किार के संरक्षण एवं संवर्धन में अपर्याप्त है तो उन्हें अपनी सकारात्मक, प्रभावोत्पादक भूमिका करनी होगी। इस संदर्भ में सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों के बीच प्रतिस्पर्ध की स्थिति भी बनी हुई है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची:

Baxi, Upendra, 'Further of Human Rights, New Delhi Oxord Univesity Press 2002

Paul, R.C. 'Stituation of Human Rights in India, New Delhi APH Publishing Corporation 2000

Nirmal, Chiranjivi (J. ed) Human Rights in India, Historical, social and political prespective, New Delhi, Oxford University Press, 2000

Human Right Watch Human Right watch world repor 1998. New York, Human Righ Watch 1997.

Jaising Indira (ed) rush for women : Pressonal laws. Women Rights and Law reports, Goa, The Mother Indure Press 1996.

Khanna, S.K. Women and Human Righs : New Delhi Common Wealth Publisher, 1998.

Saxena. K.P. (ed.) Human Rights & Constitution : Visin and really, New Delhi, Gyan Publisher 1999.

Media, Stg, Opt, State, Society and Human Rights in Society Asia, New Delhi, Manohar Publisher 1996.

Mahapatra, Arun Raj Nahoand Human Right Comission of India. Formation, Foundary and future prospect, New Delhi, Radha Publisher 2004.

A Annual reports of National Human Rights Commission (2000-2004)

Protection of Human Right Act 1993. Government of India.